राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राज. जयपुर)

क्रमांक : एफ 20(118)/आजभूस/पीएफसी/2017/2380-92 दिनांक : 1/12/17

जिला कलक्टर
समस्त

विषयः– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत मरूस्थलीय जिलों में व्यक्तिगत टांका निर्माण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्देशन समिति की दिनांक 24.11.2017 को हुई बैठक में मरूस्थलीय जिलों में व्यक्तिगत टांका निर्माण के सम्बन्ध में लिये निर्णय अनुसार निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ27(304)ग्राविवि/ग्रुप–5/पी.एम.ए.वाई.–जी/अभि./टांका निर्माण/2016–17 जयपुर दिनांक 08.09.2017 के द्वारा जारी निर्देशानुसार 30,000 लीटर तक क्षमता के टांकों का निर्माण किया जाता रहेगा।
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत एवं अन्य विभागीय योजनाओं के लाभान्वितों को प्रथमतया 50,000 लीटर या 40,000 लीटर क्षमता के टांके बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा बड़ा टांका बनवाये जाने की अनिच्छा की स्थिति में 30,000 लीटर क्षमता का टांका बनवाया जाना भी अनुमत होगा, परन्तु इस स्थिति में लाभान्वित से लिखित में यह प्राप्त करना होगा कि वह 50,000/40,000 लीटर क्षमता का टांका बनवाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
3. 50,000/40,000 हजार लीटर के टांका निर्माण हेतु कुल लागत राशि में से 30,000 लीटर टांके की टेण्डर उपरान्त लागत में से योजना के प्रावधान अनुसार कृषक हिस्सा राशि कम करते हुए शेष राशि के बराबर राशि ही योजना मद से देय होगी, इससे अधिक लागत राशि लाभान्वित द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
4. लाभार्थियों के चिन्हीकरण में इस कार्यालय के पत्रांक एफ20(191)पी.एफ.सी./डब्ल्यु.डी.सी./2013–14/3756–68 दिनांक 01.03.2016 की पालना सुनिश्चित करावें, जिसके अनुसार भवन अथवा खेत पर टांका विद्यमान होने की स्थिति में नवीन टांका स्वीकृत नहीं किया जावे।
5. लाभार्थी के खेत पर कुआं/ट्यूबवेल(Functional) अवस्थित होने पर भी टांका स्वीकृत नहीं किया जावे।
6. राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर मनरेगा में पात्र परिवारों को प्राथमिकता से मनरेगा मद में ही टांका स्वीकृत किया जावे। तत्पश्चात् मनरेगा में कार्य स्वीकृत नहीं कर पाने की स्थिति में ही आई.डब्ल्यु.एम.पी./मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान राज्य मद से स्वीकृत किये जावें।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

Letter 5

Scanned by CamScanner